

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी-सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर

राजाराम

बनाम

सुरेन्द्र कुमार वगैरह

किस्म मुकदमा:- 212 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या:-117/2023 (GCMS No. 2023/106)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 24.12.2024 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी के नाम से रोही ताखंरावाली के खाता संख्या 86/1 खसरा संख्या 185/42 में 6.325 हैक्टर बारानी भूमि में से 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से इसी रोही ताखंरावाली के खाता संख्या 107/1 के खसरा संख्या 186/42 में 7.337 हैक्टर बारानी भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के नाम अंकित भूमि में प्रार्थी की ढाणी व ट्युबवैल लगा हुआ है और शांतिपूर्वक प्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि से बंजड़ तोड़ कर काबिल काश्त किया है व सुधारी हुई भूमि को देखकर अप्रार्थीगण के मन में बदयन्ती आ गई है व राजनैतिक प्रभाववंश जबरदस्ती काबिज होने के फिराक में है। यदि वे प्रार्थी के खातेदारी रकबा में जबरन घुसकर काबिज हो गये तो प्रार्थी का ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 28.06.2023 को जारी टी0आई0 का वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावें।</p> <p>वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। तहसील सूरतगढ़ रोही ताखंरावाली के खाता संख्या 86/1 खसरा संख्या 185/42 में 6.325 हैक्टर बारानी भूमि में से 1/3 हिस्सा प्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी ने अपने कथनों की ताईद में ना तो किसी गवाह के बयान या दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी संख्या-1, प्रार्थी के हिस्सा में दखलदांजी करना चाहता है एवं यहां यह भी देखा जाना है कि प्रार्थी का रकबा संयुक्त खाता में दर्ज है। प्रार्थी का कब्जा कौनसे हिस्सा में यह भी सिद्ध नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सिद्ध नहीं होने से अस्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> | |



(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

